

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें) :- 7165/xiv-13-214/6104 दिनांक 13-08-1965
2. परियोजना के विवरण :- नीरगढ कक्ष संख्या-04 में स्थित 0.101 हे० वन भूमि लीज संख्या-56 के 30 वर्षों के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव।
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है। आश्रम व कुटिया
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र। संलग्न है।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)। 0.101 हे० आश्रम व कुटिया हेतु।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। :- सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न है।

हस्ताक्षर :- (नाम बड़े अक्षरों में)

पदनाम :-

पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का) :-

तारीख:-

स्थान:-



[Handwritten signature]